लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic

पत्रांक : BRLPS/LSBA/Proj/165/20/298 दिनांक : 05.09.2020

प्रेषक ,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतर्गत ODF-प्लस बेसलाईन सर्वे (आकलन) दिनांक 07 सितम्बर, 2020 से 25 अक्टूबर, 2020 तक कराने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग: **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक F.No. Q- 14021/1/2020-Stat-DDWS दिनांक 19 जून, 2020.**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि ODF-प्लस के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सामुदायिक परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का आकलन (सर्वे) करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हर ग्राम में इस वर्ष ODF-प्लस बेसलाईन (प्रारंभिक अवस्था) का सर्वे किया जाना है। इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक BRLPS/LSBA/PROJ/165/20/153, दिनांक 03 जुलाई, 2020 द्वारा सभी जिलों को निर्गत किया जा चुका है ।

ODF-प्लस बेसलाईन सर्वे के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामों में वैसे सभी सामुदायिक और व्यक्तिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) से जुड़े परिसंपत्तियों का सर्वे (आकलन) किया जाना है, जिनका निर्माण केंद्र सरकार / राज्य सरकार / अन्य योजना / स्व निर्मित आदि के द्वारा 31 मार्च, 2020 से पूर्व किया गया है। उक्त सर्वे ODF-प्लस मोबाइल एप्प (SBM 2.0 IMIS App) के द्वारा संग्रहित किया जाएगा एवं इस एप्प को दिए गए लिंक http://sbm.gov.in/odfplus/ से डाउनलोड किया जा सकता है ।

ODF-प्लस सर्वेक्षण में निम्नलिखित सूचक (Indicator) की उपलबध्ता की जानकारी लेने और सामुदायिक परिसम्पत्तियों को जिओ टैगिंग किया जाएगा :

- जिला या अनुमंडल स्तर पर स्थित मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन के विविध इकाई (FSTP)/ प्लांटेड ड्राइंगबेड
- जिला / अनुमंडल / प्रखण्ड में स्थित गोबर गैस इकाई
- प्रखण्ड में स्थित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (संयंत्र)

- सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC)
- सामुदायिक / घरेलु स्तर पर कम्पोस्ट पिट, बायो गैस संयंत्र
- सामुदायिक / घरेलु स्तर पर सोकपिट / लीच पिट / मैजिक पिट / अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब (WSP) / विकेंद्रीकृत अपशिष्ट संसाधन सिस्टम (DEWATS)
- अपशिष्ट संग्रहण (Collection) एवं पृथ्थकरण शेड (Segregation Unit)
- अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन हेतु वाहन

जिला स्तर पर स्थित सभी प्रकार के परिसम्पत्तियों से संबंधित सूचनाओं को मोबाईल एप्प पर प्रविष्ट करने की जिम्मेवारी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जिला टीम में शामिल DC-SLWM , DC-CB-IEC एवं DC-IMIS की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त घरेलु स्तर पर उपलब्ध ODF-प्लस के विभिन्न सूचकांकों का मानचित्रण (Mapping) एवं सूचना संग्रहण भी किया जाएगा। घरेलु स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सुविधाओं की जानकारी एवं सूचना संग्रहण के लिए प्रगणक द्वारा प्रत्यके राजस्व ग्राम से 25 घरों का रैंडम चयन किया जाएगा (घरों का चयन इस प्रकार किया जाय, जिसमें राजस्व ग्राम अंतर्गत सभी टोले आच्छादित हो सकें एवं विशेषकर महादलित समुदाय से न्युनतम दो घर शामिल हो सकें) एवं रैंडम चयनित घरों से प्राप्त सूचना को मोबाइल एप्प पर अपलोड किया जाएगा (जिओ-टैग की आवश्यकता नहीं)। घरों के रैंडम चयन के संबंध में विस्तृत निदेश विभागीय पत्रांक 153, दिनांक 03.07.2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

ग्राम में ODF-प्लस सर्वेक्षण आरम्भ करने के पूर्व सर्वप्रथम उस ग्राम से संबंधित आधारभूत जानकारी एकत्रित करनी है, जिसके द्वारा ODF-प्लस से संबंधित सामुदायिक परिसंपत्तियों का ब्यौरा, उनके खर्च के श्रोत का ब्यौरा इत्यादि का पता लगाया जा सके । आधारभूत जानकारी एकत्रित करने के लिए उपलब्धता के अनुसार कम से कम दो लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचना एकत्रित किया जा सकता है यथा-मुखिया / पंचायत सेवक / वार्ड सदस्य / पंचायत रोजगार सेवक / आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता / आशा / विकास मित्र/ स्वच्छाग्रही / ग्राम के जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यगण / विद्यालय के शिक्षक या कोई भी लम्बे समय से ग्राम में रहने वाला व्यक्ति ।

ODF-प्लस सर्वे के दौरान गुणवत्ता पूर्ण आंकड़ों (सूचना) की प्रविष्टि सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारियों द्वारा 02% ग्राम को पार-सत्यापन (Cross Verification) किया जाएगा। पार-सत्यापन के क्रम में त्रुटि पाये जाने पर जिला स्तर पर इसे अद्यतन किया जाएगा। सभी ग्राम में सर्वे कार्य करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु एक व्यक्ति (प्रखण्ड समन्वयक / स्वच्छता पर्यवेक्षक / स्वछाग्रही / राज्य संसाधन सेवी / जिला संसाधन सेवी एवं जिला द्वारा अधिकृत अन्य कर्मी) को प्रगणक (Enumerators) नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा एक दिन में एक ग्राम का सर्वे कार्य पूर्ण किया जाएगा । इसके बाद, प्राप्त सभी सूचनाओं को मोबाइल एप्प के द्वारा अपलोड किये जाने के पश्चात् DC-SLWM / DC-CB-IEC के द्वारा प्रविष्ट किये गये आंकड़ों का अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन के उपरांत प्रगणक को 250 रूपए प्रति ग्राम के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा ।

उपरोक्त ODF-प्लस, सर्वे का कार्य, दिनांक 07 सितम्बर से 25 अक्टूबर, 2020 तक सभी ग्राम पंचायत में सफलता पूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित मानव बल का क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ज़ूम एप्प के द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2020 को दिया जा चुका है। उपविकास आयुक्त के नेतृत्व में जिला स्तरीय DC-SLWM / DC-CB/IEC / DC-IMIS द्वारा ODF-प्लस सर्वे कार्य का अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण किया जाएगा तथा जिला समन्वयक इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के आलोक में ODF-प्लस सर्वे कार्य किए जाने हेतु अपने अधिनस्थ सभी संबंधितों को निदेशित करने का कष्ट करेंगे एवं अपने स्तर से साप्ताहिक समीक्षा कर ODF-प्लस सर्वे को ससमय पूर्ण करायेंगे।

विश्वासभाजन

04/09/2020

(बालामुरूगन डी.)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/165/20/298 दिनांक : 05.09.2020

प्रतिलिपि : सभी जिला समन्वयक / प्रभारी जिला समन्वयक / जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी उपविकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04/09/2020

(बालामुरूगन डी.)